न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 5/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. नानची देवी पत्नि मंगला ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार
2. शंकरलाल पुत्र मंगला ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 26-05-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 373/2 रकबा 1.3277 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में नानची देवी पत्नि मंगला हिस्सा 1/2 एवं शंकरलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति जाट ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार नानची देवी पत्नि मंगला हिस्सा 1/2 एवं शंकरलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयों ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालना नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण मद संख्या 1 में वर्णित गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत 2049 से 2068 एवं 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 373/2 रकबा

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 373/2 रकबा 1.3277 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में नानची देवी पत्नि मंगला हिस्सा 1/2 एवं शंकरलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति जाट ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार नानची देवी पत्नि मंगला हिस्सा 1/2 एवं शंकरलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयों ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। किन्तु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा रिकार्ड तथा अप्रार्थी के सही पतें की सूचना नही भिजवाई गई तथा प्रार्थी द्वारा आवंटन रिकार्ड व खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच कर आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.5-25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर